

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-55/15

संस्थित दिनांक-11.02.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. ब्रजेशसिंह पुत्र पुत्तूसिंह जाट उम्र 26 साल

2. गजेन्द्रसिंह पुत्र कल्यानसिंह जाट उम्र 33 साल

निवासी ग्राम भैडैरा थाना मौ जिला भिण्ड

.....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 04.10.2017 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 353/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.07.14 को 15 बजे एमपीईबी कार्यालय मौ जिला भिण्ड पर आकाश को जबकि वह लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने के आशय से सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्तगण को भादवि० की धारा 294, 506 भाग दो का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 353 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी आकाश यादव म०प्र० विद्युत विभाग मौ में उक्त विभाग के कार्यालय में दिनांक 03.07.14 को कार्यालय का कार्य कर रहा था साथ में अजबसिंह भी कार्य कर रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे अभियुक्तगण आए और बोले मादरचोद हमको लाईट का परमिट दो हमें लाईट जोडना हैं। फरियादी ने जब कहाकि अभी हैड ओवर नहीं हैं तो फरियादी का गलेवान पकड लिया और झूमा झटकी की, इस प्रकार से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई और देख लेने की धमकी दी। मुन्नालाल श्रीवास, मुनीष कुमार पाण्डे ने घटना देखी। तत्पश्चात रिपोर्ट की गयी। उक्त रिपोर्ट से अप०क्र० 259/14 पंजीबद्ध की गयी। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक बनाए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1—क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 03.07.14 को 15 बजे एमपीईबी कार्यालय मौ जिला भिण्ड पर आकाश जो कि लोक सेवक है, को जबकि वह लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, को कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने के आशय से सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में आकाश यादव अ०सा० 1, अजबसिंह अ०सा० 2, मुन्नालाल श्रीवास अ०सा० 3 संजयसिंह जाट अ०सा० 4, मनीष कुमार शर्मा अ०सा० 5, शेषदेव राम भगत अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी आकाश यादव अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करते हैं कि वे अभियुक्तगण को जानते हैं। घटना उनके साक्ष्य दिनांक 21.04.16 से करीब दो साल पहले शाम 3—4 बजे की है। अभियुक्तगण आए और कहने लगे कि लाईट चालू करिये, उसने कहाकि तार टूटा है तब अभियुक्तगण ने कहाकि लाईट चालू करें। साक्षी उस समय मौ में विद्युत विभाग में आपरेटर की पोस्ट पर पदस्थ होना बताते हैं। यह कथन करता है कि उसने कहाकि मिस्त्री परमिट ले लेगा तार जुड़ जाएगा, तो चालू करवा देंगे। अभियुक्तगण ने कहाकि नहीं अभी चालू करो तो फरियादी एफआईआर कटा दी थी। प्र०पी० 1 के आवेदन पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। प्राथमिकी प्र०पी० 2 पर भी ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण के द्वारा आपराधिक बल या हमले के प्रयोग किए जाने का कोई भी तथ्य प्रकट नहीं करते हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तगण ने उसका गरेवान पकड़ लिया हो और झूमा झटकी करने लगे हो, केवल गाली गलौच करने की बात बताता है। इस सुझाव से स्पष्टतः इंकार करता है कि अभियुक्तगण के कृत्य से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार से साक्षी द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा कथित रूप से फरियादी को उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं उस पर आपराधिक बल या हमला कारित किए जाने के संबंध में स्पष्टतः इंकार किया है।

8. प्रकरण में घटना का साक्षी अजबसिंह अ०सा० 2 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करता है कि वह दिनांक 03.07.14 को बिजली विभाग में लाईन मैन के रूप में कार्य करता था और फरियादी आकाश बिजली घर में आपरेटर था। यह भी कथन करता है कि नई लाईन गिर रही थी तब

अभियुक्त ब्रजेश व एक अन्य लडका जबरदस्ती लाईन जुडवा रहे थे। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त गजेन्द्र को देखकर साक्षी पहचानने से इंकार करता है। साक्षी बताता है कि अभियुक्त ब्रजेश व अन्य लडका गाली दे रहे थे कि लाईन नहीं जोड़ेगा तो मारेंगे। गाली गलौंच के अलावा और कुछ न होने का कथन करते हैं। साक्षी सूचक प्रश्नों में स्वीकार करता है कि अभियुक्त द्वारा झूमा झटकी की गयी थी जिससे शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गयी थी। साक्षी इसके बावजूद भी पुलिस कथन प्रपी० 5 में विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पर गरेवान पकड लेने का तथ्य लिखाए जाने से इंकार करता है। इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में स्वीकार किया गया है कि गाली गलौंच के अलावा और कुछ नहीं किया गया था, झूमा झटकी को स्पष्ट करते हुए बताता है कि झूमा झटकी से आशय धक्का देने से है। ब्रजेश ने फरियादी आकाश को एकाध बार धक्का दिया था। इस प्रकार से इस अभिसाक्षी द्वारा अभियुक्त ब्रजेश के संबंध में तथ्य का समर्थन किया है किन्तु प्रतिपरीक्षण में मात्र गाली गलौंच होने की बात बताई है।

9. मुन्नालाल अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में उसके सामने कोई घटना घटित होने से मुख्य परीक्षण में इंकार करता है किन्तु पक्षविरोधी कर सूचक प्रश्नों में उसके समक्ष मुंहवाद होने और फरियादी आकाश से लाईन जोड़ने के लिए आरोपीगण द्वारा कहे जाने का कथन किया है। किन्तु इस साक्षी ने भी पुलिस कथन प्र०पी० 6 में अभियुक्तगण के संबंध में तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। सूचक प्रश्न में उसके समक्ष केवल मुंहवाद होना बताया गया है। ऐसे में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य में भी हमले अथवा आपराधिक बल के प्रयोग के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है। मनीष कुमार शर्मा अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि अभियुक्तगण की कार्यालय में आकर लाईट जोड़ने की बात पर फरियादी आकाश के साथ गाली गलौंच की थी। साक्षी बताता है कि अभियुक्तगण बोले मादरचोद लाईन जोड तो आकाश ने कहा था कि लाईन अभी उनके हैण्ड ओवर नहीं हुई है फिर आकाश के साथ झूमा झटकी की और धमकी दी कि लाईन नहीं जोड़ेगा तो जान से खत्म कर देंगे। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि जहां फरियादी आकाश बैठता है वहां से उसके आफिस में बातचीत सुनाई नहीं पड़ेगी। साक्षी यह भी कथन करता है कि उसे घटना के बारे में आकाश ने बताया था उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई। यह भी स्वीकार करता है कि आरोपीगण ने फरियादी आकाश को जान से मारने की धमकी नहीं दी। इस प्रकार से इस साक्षी के द्वारा मुख्य परीक्षण में जो घटना बताई गयी है वह कथित रूप से फरियादी आकाश से प्राप्त जानकारी पर आधारित अनुश्रुत साक्ष्य बताई गयी है, जबकि फरियादी आकाश अ०सा० 1 स्वयं ही अभियुक्तगण द्वारा हमला अथवा आपराधिक बल के प्रयोग से इंकार करता है।

10. प्रकरण में यह ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 03.07.2014 को बताई गयी है। जिस दिनांक को फरियादी का लोक सेवक के रूप में कार्यरत होने के संबंध में अभियोजन की ओर से

कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित नहीं कराया गया है। मौखिक साक्ष्य में स्वयं फरियादी आकाश अ०सा० 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करता है कि उसकी बिजली विभाग में शासकीय नौकरी नहीं हैं स्वतः कथन करता है कि वह आउट सोर्सिंग आपरेटर के पद पर था। यह स्वीकार करता है कि शासन के द्वारा उसे कोई नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और यह भी बताता है कि उसकी ड्यूटी ठेकेदार लगाते हैं। अजबसिंह अ०सा० 2 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करता है कि आकाश शासकीय कर्मचारी नहीं हैं बल्कि प्राइवेट आपरेटर है। मुन्नालाल अ०सा० 3 भी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में फरियादी आकाश यादव का प्राइवेट तौर पर कार्य करना बताता है। प्रकरण में फरियादी अभिकथित घटना दिनांक 03.07.14 को लोक सेवक के रूप में अपना पदीय कर्तव्य निर्वहन कर रहा हो, इस संबंध में स्वयं अभियोजन की साक्ष्य विरोधाभासी व खण्डनीय हैं। कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार की नहीं हैं कि अभिकथित घटना दिनांक 03.07.14 को फरियादी आकाश लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर कार्य कर रहा था। ऐसी दशा में सर्वप्रथम तो फरियादी के लोक सेवक के रूप में पदीय कर्तव्य के निर्वहन को प्रमाणित करने हेतु फरियादी का लोक सेवक होना एवं पदीय कर्तव्य पर मौजूद होना सारवान साक्ष्य से समर्थित नहीं हैं।

11. फरियादी आकाश अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी० 1 का आवेदन पत्र उसके द्वारा लेख न होना बताते हैं व ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी प्र०पी० 1 के आवेदन पत्र के संबंध में सूचक प्रश्न की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि उसने ऐसा आवेदन नहीं दिया था बल्कि अजबसिंह ने दिया था। प्र०पी० 1 का आवेदन उसके द्वारा मनीष कुमार पाण्डे बाबूजी द्वारा लिखाया जाना बताते हैं। साक्षी लिखित रिपोर्ट प्र०पी० 1 के तथ्यों से स्पष्टतः इंकार किया है जबकि उक्त साक्षी ने आवेदन पत्र पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को स्वीकार किया गया है। ऐसी दशा में यह तथ्य न्यायालय के समक्ष स्पष्ट होता है कि जहां प्र०पी० 1 के दस्तावेज की अंतर्वस्तु फरियादी आकाश लिखाया जाना बताते हैं और साक्ष्य के अनुक्रम में उक्त दस्तावेज में उक्त अंतर्वस्तु से इंकार करते हैं तो उनके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का कार्य किया गया है जो स्वयं दोषपूर्ण एवं दण्डनीय है।

12. प्रकरण में फरियादी जो कि घटना का सर्वोत्तम साक्षी है, वह स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा उसका गरेवान पकड़कर आपराधिक बल के प्रयोग व हमला किए जाने के संबंध में इंकार करता है। मुन्नालाल अ०सा० 3 घटना का समर्थन नहीं करते हैं, मात्र मुंहवाद होना बताते हैं। मनीष अ०सा० 5 अनुश्रुत साक्षी है। अजबसिंह अ०सा० 2 द्वारा यद्यपि सूचक प्रश्नों में झूमा झटकी का कथन किया है, प्रतिपरीक्षण में मात्र गाली गलौंच का तथ्य बताया है ऐसी दशा में संहिता की धारा 353 के आरोप को प्रमाणित किए जाने के लिए अभियोजन की साक्ष्य के आधार पर मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध संदिग्ध हो जाता है। यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 03.07.14 की बताई

गयी है जिसके संबंध में अजबसिंह अ०सा० 2 घटना दिनांक को ही आवेदन दिया जाना बताते हैं। प्रकरण में लिखित आवेदन पत्र प्र०पी० 1 पर दिनांक 19.07.14 अंकित है और प्राथमिकी प्र०पी० 2 पर भी 19.07.14 को सूचना दिया जाना लेख है। इस प्रकार से अभिकथित घटना से 15 दिवस पश्चात सूचना दी गयी है इसके विलंब का कोई युक्ति संगत उत्तर अभियोजन साक्षियों द्वारा नहीं दिया गया है।

13. दण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 03.07.14 को 15 बजे एमपीईबी कार्यालय मौ जिला भिण्ड पर आकाश को जबकि वह लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करने के आशय से सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्तगण को धारा 353/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. प्रकरण में फरियादी आकाश यादव पुत्र समरथसिंह यादव के विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के आधार पर तथ्य दर्शित हुआ है। समाज में साक्षियों द्वारा झूठे आधारों पर अपराध में संलिप्त किए जाने की प्रवृत्ति में बढ़ावा मिलता जा रहा है। उक्त प्रवृत्ति को न केवल दबाने की बल्कि समुचित रूप से ऐसा कारित करने वाले को दण्डित किए जाने की भी आवश्यकता है। न्यायालय की राय में अभियुक्त का कृत्य संक्षिप्ततः दण्डनीय हैं। अतः उक्त फरियादी के विरुद्ध संक्षिप्ततः विचारणीय प्रक्रिया के अधीन दफ़्तर की धारा 344 का प्रथम से प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे। प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21.04.16 तदनुसार निराकृत किया जाता है।

15. अभियुक्तगण के पूर्व जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं, धारा 437 ए दफ़्तर के अधीन प्रस्तुत जमानत मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

16. अभियुक्त की निरोधावधि यदि हो तो उसके संबंध में धारा 428 दफ़्तर का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)